क्रम-संख्या–61

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०/91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2009
फाल्गुन 6, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 450/79–वि–1–09-1(क)28-2008
लखनऊ, 25 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 24 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 का सामान्य संशोधन

2—डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'चेयर मैन' और 'निदेशक' जहां कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत पार्श्व शीर्षक भी है, के स्थान पर क्रमशः शब्द "अध्यक्ष (चेयर परसन)" और 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में,—

(क) शीर्षक "नामनिर्दिष्ट व्यक्ति" के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (दो) तथा खण्ड (तीन) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) शीर्षक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (चार) तथा खण्ड (छः) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

धारा 12क का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (5) में, शब्द "महापरिषद को आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए" के स्थान पर शब्द "महापरिषद की आगामी बैठक के समक्ष" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (1) में,—

(क) खण्ड (सात) तथा खण्ड (आठ) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (नौ) में, शब्द "पूर्ण कालिक आचार्य" के स्थान पर शब्द "वरिष्ठ आचार्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात :—

"(3) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक स्वरूप कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष, महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। इस उपधारा के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि कार्य परिषद के कुल सदस्यों के तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए और प्रकरण कार्य परिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।"

धारा 21 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में खण्ड दो में शब्द "महापरिषद के परामर्श से अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष महापरिषद" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात,—

"(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी महापरिषद के अध्यक्ष यदि सन्तुष्ट हों, तो पद पर कार्यरत कुलपति को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकेगा तथा प्रकरण महापरिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (दो) में शब्द "महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष (चेयरपरसन), महापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में,—

(क) शब्द "और कुलाध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है" के स्थान पर शब्द और कुलाध्यक्ष के आदेश द्वारा निर्देश देगा" रख दिये जायेंगे: और

(ख) शब्द "जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द जैसा कि उस आदेश में कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 43 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 43 में,

(क) उपधारा (2) में शब्द "छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड" के स्थान पर शब्द "छात्र को विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(3) यदि कोई छात्र कार्य परिषद के आदेश से व्यथित हो, तो वह छात्र कार्य परिषद द्वारा निर्गत ऐसे दण्ड के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष, महापरिषद को अपील कर सकता है।"

उद्देश्य और कारण

डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना निगमन की व्यवस्था करने और उससे जुड़े हुए या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। विश्वविद्यालय का कार्य तेजी के साथ चले यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन का विनिश्चय किया गया है :–

(क) शब्द "निदेशक" को शब्द "कुलपति" द्वारा प्रतिस्थापित करना,

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों और लोक सभा के दो सदस्यों का महापरिषद के सदस्यों के रूप में नाम निर्देशन की व्यवस्था समाप्त करना,

(ग) महापरिषद के अध्यक्ष को –

(एक) राज्य सरकार के स्थान पर विश्वविद्यालय के कुलपति और महापरिषद के सदस्यों के रूप में 5 प्रख्यात व्यक्तियों :

(दो) कार्य परिषद के सदस्यों के रूप में दो प्रख्यात व्यक्ति और दो सामाजिक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करना,

(घ) आत्ययिक कार्यवाही के मामले में महापरिषद के अध्यक्ष को सदस्यों को पत्रजात के परिचालन के माध्यम से कार्य को किए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए सशक्त करना,

(ङ) कुलपति को पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए पद पर बने रहने के लिए विस्तार स्वीकृत करने के लिए महापरिषद के अध्यक्ष को सशक्त करना,

(च) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन कार्य परिषद के आदेश के विरुद्ध महापरिषद के अध्यक्ष को किसी छात्र को अपील करने का अधिकार देना।

तद्नुसार डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG–1

No. 450/LXXIX–V–1–09-1(Ka)28-2008

Dated Lucknow, February 25, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Vishwavidyalaya Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2009 :–

DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY

UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. Act no. 5 of 2009)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University, Uttar Pradeh Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2008.

General amendment in U.P. Act no.28 of 2005

2. In Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University, Uttar Pradesh Act, 2005 hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word 'Chairman'' and ''Director'' wherever occurring including marginal heading, the word ''Chairperson'' and ''Vice-Chancellor'' shall respectively be *substituted.*

Amendment of section 9

3. In section-9 of the principal Act, in sub-section (1),

(a) clause (ii) and clause (iii) appearing under the heading ''Nominated Members'' shall be *omitted;*

(b) in clause (iv) and clause (vi) appearing under the heading ''Nominated Members'' *for* the words ''nominated by the State Government'', the words ''nominated by the Chairperson of the General Council,'' shall be *substituted.*

Amendment of section 12

4. In section 12 of the principal Act, in sub-section (5), *for* the words ''the General Council for confirmation'' the words ''the General Council'' shall be *substituted.*

Amendment of section 14

5. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1),–

(a) in clause (vii) and clause (viii) *for* the words ''nominated by the State Government'', the words ''nominated by the Chairperson of the General Council,'' shall be *substituted*;

(b) in clause (ix) *for* the words ''whole time senior professors'' the words ''senior professors'' shall be *substituted.*

Amendment of section 19

6. In section 19 of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(3) If an urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Chairperson of the General Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The action proposed under this sub-section shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the Executive Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council and the matter shall be reported in the next meeting of the Executive Council."

Amendment of section 21

7. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii) *for* the words "the chairman in consultation with the General Council" the words "the Chairperson" shall be *substituted.*

Amendment of section 27

8. In section 27 of the principal Act,–

(a) after sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(1A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-clause (1), the Chairperson of the General Council, if satisfied, may grant extension for another term of five years to the Vice-Chancellor continuing in office after completing four years in office and the matter shall be reported in the next meeting of the General Council;"

(b) in sub-section (2), in clause (ii) for the words "nominated by the Chairperson of the General Council", the words "nominated by the Chairperson of the General Council" shall be *substituted.*

Amendment of section 32

9. In section 32 of the principal Act, in sub section (3),–

(a) for the words "and the Visitor may, by order, direct" the words "and the Visitor shall, by order, direct" shall be *substitutd;,* and

(b) for the words "as may be specified in that order" the words "as may be specified in the order of the Visitor" shall be *substituted.*

Amendment of Section 43

10. In section 43 of the principal Act, –

(a) in sub-section (2) *for* the words "punishment of debarring a student from the examination or" the words "punishment of" shall be *substituted.*

(b) after sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted,* namely:–

"(3) If any student is aggrieved by the order of the Executive Council, he may prefer an appeal to the Chairperson of the General Council within a period of thirty days from the date of the receipt of the order of such punishment passed by the Executive Council."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh Act, 2005 has been enacted to provide for the establishment and incorporation of National Law University at Lucknow in Uttar Pradesh and for the matters connected therewith or incidental thereto. With a view to ensuring that the work of the University should be carried out promptly it has been decided to amend the said Act to provide mainly for :

(*a*) substituting the words "Director" by the word "Vice-Chancellor",

(*b*) abolishing, the provision for nomination of two members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and two members of the Lok Sabha as the members of the General Council ;

(*c*) empowering the Chairperson of General Council to nominate :–

(i) a Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh and five eminent persons as the members of the General Council instead of the State Government ;

(ii) two eminent persons and two persons of social eminence as the members of Excutive Council ;

(*d*) empowering the Chairperson of the General Council to permit the business to be transacted by circulation of papers to the members in the case of an urgent action ;

(*e*) empowering the Chairperson of the General Council to grant extension to the Vice-Chancellor to continue in office for another term of five years ;

(*f*) giving right to a student to prefer an appeal to the Chairperson of the General Council against the order of Excutive Council under sub-section (2) of section 43.

Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2008 introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0 पी0 1010 राजपत्र (हि0)–2009–(2192)–597 प्रतियाँ (कम्प्यू0/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0 पी0 180 सा० विधा०–2009–(2193)–850 प्रतियाँ (कम्प्यू0/टी0/आफसेट)।